

गृह मंत्रालय

मांग संख्या 52

गृह मंत्रालय (अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह)

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2023-2024			बजट 2024-2025			संशोधित 2024-2025			बजट 2025-2026		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
<b>कुल</b>	5486.95	440.61	5927.56	5573.69	467.13	6040.82	5634.22	406.60	6040.82	5711.98	555.08	6267.06
<i>वसूलियां</i>	-55.47	-0.95	-56.42	-55.00	...	-55.00	-54.47	-0.53	-55.00	-55.00	...	-55.00
<i>प्राप्तियां</i>	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
<b>निवल</b>	<b>5431.48</b>	<b>439.66</b>	<b>5871.14</b>	<b>5518.69</b>	<b>467.13</b>	<b>5985.82</b>	<b>5579.75</b>	<b>406.07</b>	<b>5985.82</b>	<b>5656.98</b>	<b>555.08</b>	<b>6212.06</b>
क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आवंटन इस प्रकार है:												
<b>केंद्र का व्यय</b>												
<b>केन्द्र का स्थापना व्यय</b>												
1. सचिवालय	94.20	...	94.20	85.95	...	85.95	90.21	...	90.21	91.54	...	91.54
	-0.10	...	-0.10	-0.05	...	-0.05	-0.07	...	-0.07	-0.05	...	-0.05
<i>निवल</i>	<i>94.10</i>	<i>...</i>	<i>94.10</i>	<i>85.90</i>	<i>...</i>	<i>85.90</i>	<i>90.14</i>	<i>...</i>	<i>90.14</i>	<i>91.49</i>	<i>...</i>	<i>91.49</i>
2. अन्य स्थापना	2697.27	0.22	2697.49	2814.87	0.28	2815.15	2922.00	0.92	2922.92	3011.54	1.14	3012.68
	-10.97	...	-10.97	-3.31	...	-3.31	-4.55	-0.01	-4.56	-3.31	...	-3.31
<i>निवल</i>	<i>2686.30</i>	<i>0.22</i>	<i>2686.52</i>	<i>2811.56</i>	<i>0.28</i>	<i>2811.84</i>	<i>2917.45</i>	<i>0.91</i>	<i>2918.36</i>	<i>3008.23</i>	<i>1.14</i>	<i>3009.37</i>
<b>जोड़-केन्द्र का स्थापना व्यय</b>	<b>2780.40</b>	<b>0.22</b>	<b>2780.62</b>	<b>2897.46</b>	<b>0.28</b>	<b>2897.74</b>	<b>3007.59</b>	<b>0.91</b>	<b>3008.50</b>	<b>3099.72</b>	<b>1.14</b>	<b>3100.86</b>
<b>केंद्रीय क्षेत्र के अन्य व्यय</b>												
<b>अन्य</b>												
3. संघ राज्य क्षेत्र की स्कीमें												
3.01 जनजातीय तथा अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण	0.42	...	0.42	0.35	0.10	0.45	0.58	0.10	0.68	0.42	0.01	0.43
3.02 आपदा प्रबंधन	0.15	0.19	0.34	0.24	0.11	0.35	0.14	1.55	1.69	0.24	17.90	18.14
	-0.09	...	-0.09	-0.01	...	-0.01	-0.01	...	-0.01	-0.01	...	-0.01
<i>निवल</i>	<i>0.06</i>	<i>0.19</i>	<i>0.25</i>	<i>0.23</i>	<i>0.11</i>	<i>0.34</i>	<i>0.13</i>	<i>1.55</i>	<i>1.68</i>	<i>0.23</i>	<i>17.90</i>	<i>18.13</i>
3.03 कृषि और संबद्ध कार्यक्रम	6.49	6.15	12.64	21.33	13.02	34.35	17.12	12.94	30.06	20.12	14.06	34.18
	-0.47	-0.08	-0.55	-2.14	...	-2.14	-2.15	-0.02	-2.17	-2.14	...	-2.14
<i>निवल</i>	<i>6.02</i>	<i>6.07</i>	<i>12.09</i>	<i>19.19</i>	<i>13.02</i>	<i>32.21</i>	<i>14.97</i>	<i>12.92</i>	<i>27.89</i>	<i>17.98</i>	<i>14.06</i>	<i>32.04</i>
3.04 जलापूर्ति और स्वच्छता	78.51	65.17	143.68	71.60	75.00	146.60	77.26	49.85	127.11	82.32	90.66	172.98
	-0.06	...	-0.06	...	...	...	-0.01	...	-0.01	...	...	...
<i>निवल</i>	<i>78.45</i>	<i>65.17</i>	<i>143.62</i>	<i>71.60</i>	<i>75.00</i>	<i>146.60</i>	<i>77.25</i>	<i>49.85</i>	<i>127.10</i>	<i>82.32</i>	<i>90.66</i>	<i>172.98</i>

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2023-2024			बजट 2024-2025			संशोधित 2024-2025			बजट 2025-2026			
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	
3.05	ग्रामीण विकास	96.64	1.88	98.52	90.40	3.33	93.73	100.69	1.30	101.99	98.50	1.64	100.14
		-1.93	...	-1.93	-0.22	...	-0.22	-0.22	...	-0.22	-0.22	...	-0.22
	निवल	94.71	1.88	96.59	90.18	3.33	93.51	100.47	1.30	101.77	98.28	1.64	99.92
3.06	विद्युत	732.99	22.65	755.64	650.24	16.89	667.13	735.87	18.27	754.14	676.92	32.06	708.98
		-0.35	-0.01	-0.36	-0.35	...	-0.35	-0.35	...	-0.35	-0.35	...	-0.35
	निवल	732.64	22.64	755.28	649.89	16.89	666.78	735.52	18.27	753.79	676.57	32.06	708.63
3.07	वानिकी और वन्य जीव	6.03	79.82	85.85	8.68	28.96	37.64	8.01	23.72	31.73	6.79	29.08	35.87
		...	...	...	...	...	...	...	-0.01	-0.01	...	...	...
	निवल	6.03	79.82	85.85	8.68	28.96	37.64	8.01	23.71	31.72	6.79	29.08	35.87
3.08	नागरिक आपूर्ति	16.52	1.02	17.54	17.81	2.00	19.81	15.95	1.15	17.10	16.54	2.45	18.99
		-14.64	...	-14.64	-20.45	...	-20.45	-19.36	...	-19.36	-20.45	...	-20.45
	निवल	1.88	1.02	2.90	-2.64	2.00	-0.64	-3.41	1.15	-2.26	-3.91	2.45	-1.46
3.09	चिकित्सा और जन स्वास्थ्य	79.12	26.22	105.34	92.02	26.54	118.56	87.71	29.74	117.45	96.57	37.02	133.59
		...	...	...	...	...	...	...	-0.49	-0.49	...	...	...
	निवल	79.12	26.22	105.34	92.02	26.54	118.56	87.71	29.25	116.96	96.57	37.02	133.59
3.10	शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	34.84	30.00	64.84	39.09	28.59	67.68	34.10	26.98	61.08	49.38	28.29	77.67
		-0.41	-0.53	-0.94	-0.20	...	-0.20	-0.21	...	-0.21	-0.20	...	-0.20
	निवल	34.43	29.47	63.90	38.89	28.59	67.48	33.89	26.98	60.87	49.18	28.29	77.47
3.11	सामाजिक कल्याण	86.08	4.73	90.81	71.69	6.60	78.29	89.11	4.30	93.41	89.93	5.67	95.60
3.12	ग्रामीण और लघु उद्योग	1.89	0.71	2.60	1.82	1.65	3.47	2.04	0.85	2.89	5.24	2.68	7.92
		-1.00	...	-1.00	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	निवल	0.89	0.71	1.60	1.82	1.65	3.47	2.04	0.85	2.89	5.24	2.68	7.92
3.13	सूचना और प्रचार	1.85	0.03	1.88	1.02	0.15	1.17	1.47	0.19	1.66	2.02	0.09	2.11
		...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	निवल	1.85	0.03	1.88	1.02	0.15	1.17	1.47	0.19	1.66	2.02	0.09	2.11
3.14	श्रम और रोजगार	0.23	5.45	5.68	0.23	3.10	3.33	0.35	3.20	3.55	0.50	2.82	3.32
3.15	सड़क परिवहन	43.29	14.16	57.45	34.75	17.90	52.65	34.65	16.76	51.41	37.75	14.03	51.78
		-0.13	...	-0.13	-0.02	...	-0.02	-0.02	...	-0.02	-0.02	...	-0.02
	निवल	43.16	14.16	57.32	34.73	17.90	52.63	34.63	16.76	51.39	37.73	14.03	51.76
3.16	सड़कें और पुल	45.55	89.67	135.22	65.00	94.40	159.40	39.67	100.60	140.27	70.15	99.36	169.51
		-3.41	-0.25	-3.66	...	...	...	-0.06	...	-0.06	...	...	...
	निवल	42.14	89.42	131.56	65.00	94.40	159.40	39.61	100.60	140.21	70.15	99.36	169.51
3.17	पत्तन और प्रकाश स्तंभ	129.43	10.98	140.41	130.00	20.50	150.50	112.76	17.15	129.91	115.35	15.60	130.95
		...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	निवल	129.43	10.98	140.41	130.00	20.50	150.50	112.76	17.15	129.91	115.35	15.60	130.95

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2023-2024			बजट 2024-2025			संशोधित 2024-2025			बजट 2025-2026		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
3.18 पोत परिवहन	462.69	2.75	465.44	484.80	25.80	510.60	430.70	10.91	441.61	487.30	16.62	503.92
	-0.01	...	-0.01	...	...	...	-0.04	...	-0.04	...	...	...
<i>निवल</i>	<i>462.68</i>	<i>2.75</i>	<i>465.43</i>	<i>484.80</i>	<i>25.80</i>	<i>510.60</i>	<i>430.66</i>	<i>10.91</i>	<i>441.57</i>	<i>487.30</i>	<i>16.62</i>	<i>503.92</i>
3.19 नागर विमानन	83.69	4.41	88.10	150.00	2.00	152.00	82.00	4.23	86.23	90.00	32.68	122.68
3.20 पर्यटन	11.50	7.00	18.50	10.60	8.55	19.15	7.05	7.45	14.50	11.30	12.01	23.31
	...	-0.01	-0.01	...	...	...	...	...	...	...	...	...
<i>निवल</i>	<i>11.50</i>	<i>6.99</i>	<i>18.49</i>	<i>10.60</i>	<i>8.55</i>	<i>19.15</i>	<i>7.05</i>	<i>7.45</i>	<i>14.50</i>	<i>11.30</i>	<i>12.01</i>	<i>23.31</i>
3.21 लोक निर्माण कार्य	41.19	27.71	68.90	41.88	25.58	67.46	41.71	24.28	65.99	43.16	33.35	76.51
	-21.90	...	-21.90	-28.25	...	-28.25	-27.39	...	-27.39	-28.25	...	-28.25
<i>निवल</i>	<i>19.29</i>	<i>27.71</i>	<i>47.00</i>	<i>13.63</i>	<i>25.58</i>	<i>39.21</i>	<i>14.32</i>	<i>24.28</i>	<i>38.60</i>	<i>14.91</i>	<i>33.35</i>	<i>48.26</i>
3.22 आवासन	18.51	16.17	34.68	19.00	15.00	34.00	16.50	12.06	28.56	19.00	17.00	36.00
	...	...	...	...	...	...	-0.03	...	-0.03	...	...	...
<i>निवल</i>	<i>18.51</i>	<i>16.17</i>	<i>34.68</i>	<i>19.00</i>	<i>15.00</i>	<i>34.00</i>	<i>16.47</i>	<i>12.06</i>	<i>28.53</i>	<i>19.00</i>	<i>17.00</i>	<i>36.00</i>
3.23 शहरी विकास	260.00	0.36	260.36	373.37	1.30	374.67	348.25	1.90	350.15	241.25	2.10	243.35
3.24 पुलिस और अप्रि नियंत्रण	...	16.53	16.53	...	18.87	18.87	...	19.17	19.17	...	22.74	22.74
	...	-0.07	-0.07	...	...	...	...	...	...	...	...	...
<i>निवल</i>	<i>...</i>	<i>16.46</i>	<i>16.46</i>	<i>...</i>	<i>18.87</i>	<i>18.87</i>	<i>...</i>	<i>19.17</i>	<i>19.17</i>	<i>...</i>	<i>22.74</i>	<i>22.74</i>
3.25 ट्रांसपोर्ट को भाड़े पर लेना	213.55	...	213.55	70.13	...	70.13	70.13	...	70.13	70.13	...	70.13
3.26 अन्य सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण गतिविधियां	0.26	...	0.26	0.89	...	0.89	0.79	...	0.79	0.83	...	0.83
<i>जोड़- संघ राज्य क्षेत्र की स्कीमें</i>	<i>2407.02</i>	<i>432.81</i>	<i>2839.83</i>	<i>2395.30</i>	<i>435.94</i>	<i>2831.24</i>	<i>2304.76</i>	<i>388.13</i>	<i>2692.89</i>	<i>2280.07</i>	<i>529.92</i>	<i>2809.99</i>
4. केंद्रीय प्रायोजित स्कीमों के लिए संघ राज्य क्षेत्र की सहायता	25.34	...	25.34	23.28	...	23.28	25.79	...	25.79	26.80	...	26.80
5. जनजातीय क्षेत्र घटक	209.25	6.63	215.88	192.80	30.91	223.71	231.95	17.03	248.98	228.53	24.02	252.55
	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
<i>निवल</i>	<i>209.25</i>	<i>6.63</i>	<i>215.88</i>	<i>192.80</i>	<i>30.91</i>	<i>223.71</i>	<i>231.95</i>	<i>17.03</i>	<i>248.98</i>	<i>228.53</i>	<i>24.02</i>	<i>252.55</i>
6. अनुदानग्राही/अन्य निकाय												
6.01 सोवटेक	6.00	...	6.00	6.00	...	6.00	6.00	...	6.00	18.00	...	18.00
6.02 अन्य अनुदानग्राही निकाय	3.47	...	3.47	3.82	...	3.82	3.66	...	3.66	3.83	...	3.83
<i>जोड़- अनुदानग्राही/अन्य निकाय</i>	<i>9.47</i>	<i>...</i>	<i>9.47</i>	<i>9.82</i>	<i>...</i>	<i>9.82</i>	<i>9.66</i>	<i>...</i>	<i>9.66</i>	<i>21.83</i>	<i>...</i>	<i>21.83</i>
7. संघ राज्य क्षेत्र के अन्य व्यय	...	...	...	0.03	...	0.03	...	...	...	0.03	...	0.03
<b>जोड़-अन्य</b>	<b>2651.08</b>	<b>439.44</b>	<b>3090.52</b>	<b>2621.23</b>	<b>466.85</b>	<b>3088.08</b>	<b>2572.16</b>	<b>405.16</b>	<b>2977.32</b>	<b>2557.26</b>	<b>553.94</b>	<b>3111.20</b>
<b>जोड़-केंद्रीय क्षेत्र के अन्य व्यय</b>	<b>2651.08</b>	<b>439.44</b>	<b>3090.52</b>	<b>2621.23</b>	<b>466.85</b>	<b>3088.08</b>	<b>2572.16</b>	<b>405.16</b>	<b>2977.32</b>	<b>2557.26</b>	<b>553.94</b>	<b>3111.20</b>
<b>कुल जोड़</b>	<b>5431.48</b>	<b>439.66</b>	<b>5871.14</b>	<b>5518.69</b>	<b>467.13</b>	<b>5985.82</b>	<b>5579.75</b>	<b>406.07</b>	<b>5985.82</b>	<b>5656.98</b>	<b>555.08</b>	<b>6212.06</b>

1. **सचिवालय:** यह प्रावधान अंशमान एवं निकोबार द्वीपसमूह संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के सचिवालय संबंधी व्यय के लिए है।

2. **अन्य स्थापना:** इसमें संघ राज्य क्षेत्र के अन्य विभागों/कार्यालयों की स्थापना के लिए प्रावधान शामिल है अर्थात् न्यायालय, स्टाम्प एवं पंजीकरण, कर, कोषागार एवं लेखा प्रशासन की स्थापना, पुलिस, जेल, अन्य प्रशासनिक सेवा, जनजातीय कल्याण, आपदा प्रबंधन, उद्योग, जनगणना, सर्वेक्षण और सांख्यिकी, खेतीबाड़ी, मृदा एवं जल संरक्षण, पशुपालन, मत्स्य पालन, सहकारिता, भू-राजस्व, भूमि सुधार, ग्रामीण विकास, विद्युत, वानिकी एवं वन्य जीव, वैज्ञानिक अनुसंधान, नागरिक आपूर्ति, चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, सामान्य शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, खेल एवं युवा कार्यक्रम, कला एवं संस्कृति, ग्रामीण एवं लघु उद्योग, सूचना एवं प्रचार, श्रम एवं रोजगार, पर्यटन, लेखन सामग्री एवं मुद्रण, लोक निर्माण कार्य, शहरी विकास, लघु सिंचाई, सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण, नवीन एवं नवीकरणीय उर्जा, नागर विमानन, पोत परिवहन, सड़क परिवहन एवं पत्तन तथा प्रकाश स्तंभ आदि।

3.01. **जनजातीय तथा अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण:** इसमें अनुसूचित जन-जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए प्रावधान शामिल है।

3.02. **आपदा प्रबंधन:** इसमें प्राकृतिक आपदाओं के आने पर राहत के लिए प्रावधान शामिल है।

3.03. **कृषि और संबद्ध कार्यक्रम:** इसमें खेतीबाड़ी, मृदा संरक्षण, अन्य कृषि कार्यक्रमों, पशुपालन, मत्स्य पालन, सहकारिता और लघु सिंचाई के लिए प्रावधान शामिल है।

3.04. **जलापूर्ति और स्वच्छता:** इसमें ग्रामीण और शहरी जलापूर्ति तथा उक्त योजनाओं के तहत जिला परिषद/पंचायत समिति/ग्राम पंचायत/पोर्ट ब्लेयर नगर पालिका परिषद के लिए अनुदान का प्रावधान शामिल है।

3.05. **ग्रामीण विकास:** इसमें जिला परिषद/पंचायत समिति को अनुदानों सहित ग्रामीण विकास और पंचायती राज के सुदृढीकरण के लिए प्रावधान शामिल है।

3.06. **विद्युत:** इसमें विद्युत उत्पादन, ऊर्जा के नवीन एवं नवीकरणीय स्रोत और एकीकृत ग्रामीण ऊर्जा कार्यक्रम के लिए प्रावधान शामिल है।

3.07. **वानिकी और वन्य जीव:** इसमें वानिकी एवं वन्य जीव और पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण के लिए प्रावधान शामिल है।

3.08. **नागरिक आपूर्ति:** इसमें खाद्य भण्डारण एवं माल गोदाम तथा नागरिक आपूर्तियों के लिए प्रावधान शामिल है।

3.09. **चिकित्सा और जन स्वास्थ्य:** इसमें एएनआईएमईआरएस (अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह आयुर्विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान सोसायटी) को चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य के लिए सहायता के लिए प्रावधान शामिल है।

3.10. **शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति:** इसमें शिक्षा (प्राथमिक/माध्यमिक, तकनीकी, विश्वविद्यालय और उच्चतर शिक्षा), खेल, कला एवं संस्कृति के लिए प्रावधान शामिल है तथा साथ ही जिला परिषद और गैर सरकारी माध्यमिक विद्यालयों हेतु सहायता भी शामिल है।

3.11. **सामाजिक कल्याण:** इसमें वृद्ध व्यक्तियों, विधवाओं, निराश्रितों, दिव्यांगों के कल्याण, महिला एवं बाल कल्याण के लिए प्रावधान शामिल है तथा इसमें यूटीसीपीसीआर (संघ राज्य क्षेत्र बाल अधिकार संरक्षण आयोग), एसडब्ल्यूएवी (समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड), वीएपी (सीमावर्ती क्षेत्र परियोजना) हेतु अनुदान तथा स्वयंसेवी संगठनों के लिए सहायता भी शामिल है।

3.12. **ग्रामीण और लघु उद्योग:** इसमें ग्रामीण एवं लघु उद्योगों हेतु प्रावधान और केवीआईवी (खादी एवं ग्राम उद्योग बोर्ड) के लिए सहायता शामिल है।

3.13. **सूचना और प्रचार:** इसमें सूचना एवं प्रचार तथा लेखन सामग्री और मुद्रण के लिए प्रावधान शामिल है।

3.14. **श्रम और रोजगार:** इसमें श्रम एवं रोजगार तथा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के लिए प्रावधान शामिल है।

3.15. **सड़क परिवहन:** इसमें यात्री बसों की खरीद और उनके रखरखाव के लिए प्रावधान शामिल है।

3.16. **सड़कों और पुल:** इसमें संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा सड़कों और पुलों के निर्माण और उनके रखरखाव के हेतु प्रावधान तथा जिला परिषद/पंचायत समिति/ग्राम पंचायत/पोर्ट ब्लेयर नगर परिषद को अपने-अपने क्षेत्राधिकार में सड़कों के निर्माण और उनके रखरखाव के लिए अनुदान शामिल है।

3.17. **पत्तन और प्रकाश स्तंभ:** इसमें पत्तन एवं प्रकाश स्तंभ, डॉकयार्ड एवं ड्राइडॉकिंग, स्टीवडोरिंग, नौका सेवाओं आदि के लिए प्रावधान शामिल है।

3.18. **पोत परिवहन:** इसमें पोत परिवहन तथा अंतर्देशीय जल परिवहन के लिए प्रावधान शामिल है।

3.19. **नागर विमानन:** इसमें हेलीकाप्टर और विमानों की चार्टरिंग के लिए प्रावधान शामिल है।

3.20. **पर्यटन:** इसमें पर्यटन के विकास के लिए प्रावधान शामिल है।

3.21. **लोक निर्माण कार्य:** इसमें प्रशासनिक/कार्यालय भवनों के निर्माण तथा रखरखाव, बाढ़ नियंत्रण और समुद्री दीवारों के निर्माण आदि के लिए प्रावधान शामिल है।

3.22. **आवासन:** इसमें आवासीय भवनों के निर्माण और रखरखाव के लिए प्रावधान शामिल है।

3.23. **शहरी विकास:** इसमें नगर पालिका क्षेत्र के अंतर्गत आस्तियों के निर्माण एवं रखरखाव, योजना के अंतर्गत पोर्ट ब्लेयर नगर परिषद को अनुदान और स्मार्ट सिटी मिशन के तहत उच्च मूल्य परियोजनाओं के लिये यूटी से मिलान अनुदान के लिये प्रावधान शामिल है।

3.24. **पुलिस और अग्नि नियंत्रण:** इसमें पुलिस, भारतीय रिजर्व बटालियन (आईआरबीएन) और अग्निशमन के लिए कार्यालय और आवासीय भवनों के निर्माण के लिए प्रावधान शामिल है।

3.25. **ट्रांसपोर्ट को भाड़े पर लेना:** इसमें सेटलाईट ट्रांसपोर्ट को भाड़े पर लेने के लिए प्रावधान शामिल है।

3.26. **अन्य सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण गतिविधियां:** इसमें द्वितीय विश्व युद्ध के वयोवृद्ध सेनानियों और राज्य सैनिक बोर्ड के लिए नकद अनुदान तथा संकट में फंसे परिवारों हेतु अनुग्रह राशि और श्रीलंकाई तमिल प्रत्यावासियों के बंदोबस्त के लिए प्रावधान शामिल है।

4. **केंद्रीय प्रायोजित स्कीमों के लिए संघ राज्य क्षेत्र की सहायता:** इसमें केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं जैसे अपराहन भोजन (मिड डे मील) का कार्यक्रम, एकीकृत बाल विकास सेवाएं (आंगनवाड़ी सेवाएं, पोषाहार आदि), राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम (मनरेगा), राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई), एनआरएचएम, एनयूएचएम, राष्ट्रीय आयुष मिशन, सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान तथा राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के लिए संघ राज्य क्षेत्र के बजट के अंतर्गत सहायता का प्रावधान शामिल है।

5. **जनजातीय क्षेत्र घटक:** इसमें अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के अधीन विभिन्न विभागों के संबंध में जन-जातीय क्षेत्र विकास के लिए प्रावधान शामिल है।

6.01. **सोवटेक:** इसमें सूचना प्रौद्योगिकी के विकास के लिए व्यावसायिक तकनीकी शिक्षा संवर्धन सोसायटी (सोवटेक) को अनुदान शामिल है।

6.02. **अन्य अनुदानग्राही निकाय:** इसमें वफ्फ बोर्ड, हज कमेटी, पुलिस कल्याण सोसायटी तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के लिए अनुदान शामिल है।

7. **संघ राज्य क्षेत्र के अन्य व्यय:** इसमें पेंशन प्रभारों, व्याज और मूल्य ह्रास आदि के भुगतान के लिए प्रावधान शामिल है।